तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/5/18 मुकेश [illegible] नि० दिनेश महेशचन्द [signature] अशोक रामप्रसाद [signature]	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी व पक्षकारान उपस्थित। प्र० वादी उपस्थित। प्रति० 2,3 मुकेश, रामप्रकाश ने राजीनामा पेश किया। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा वादी बहक वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। मुताबिक निर्णय पृथक डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड से जुड़ हो। सुनाया। [signature]

अध्यक्ष
लोक अदालत कैम्प....
न्याय आपके द्वार–2018

सदस्य
लोक अदालत कैम्प....
न्याय आपके द्वार–2018

सदस्य
लोक अदालत कैम्प....
न्याय आपके द्वार–2018

अह
की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/ 504/15

बउनवान

1. प्रभूदयाल पुत्र देववक्स जाति ब्राहमण निवासी नाटौज तहसील कठूमर जिला अलवर

--- वादी

बनाम

1. चिम्मन पुत्र देववक्स (मृतक) जरिये वारिसान

1/1. रामचरण पुत्र चिम्मन जाति ब्राहमण

1/2 महेश पुत्र चिम्मन जाति ब्राहमण

1/3 महेन्द्र पुत्र चिम्मन जाति ब्राहमण

1/4 पप्पू उर्फ दिनेश पुत्र चिम्मन जाति ब्राहमण

1/5 मुकेश पुत्र हरीराम जाति ब्राहमण

1/6 रामप्रसाद पुत्र हरीराम जाति ब्राहमण

निवासीयान ग्राम नाटौज तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री राधाबल्लभ शर्मा :– अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 28.05.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 300 रकवा 2 वीघा 5 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 170 मिन रकवा 2 वीघा 5 विस्वा खसरा नम्बर हाल 301 रकवा 3 वीघा 19 विस्वा जिसके साविक खसरा नम्बर 171 मिन रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 173 मिन रकवा 2 वीघा 6 विस्वा आराजी खसरा नम्बर हाल 301 रकवा 3 वीघा 1

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

विस्वा जिसके साविक खसरा नम्बर 174 रकवा 3 वीघा 1 विस्वा खसरा नम्बर हाल 303 रकवा 4 वीघा 16 विस्वा जिसके साविक खसरा नम्बर 169 मिन रकवा 4 वीघा 14 विस्वा 171 मिन रकवा 1 विस्वा 174 मिन रकवा 1 विस्वा आराजी खसरा नम्बर हाल 352 रकवा 4 वीघा 3 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 205 मिन रकवा 4 वीघा 3 विस्वा खसरा नम्बर हाल 353 रकवा 4 वीघा 4 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 205 मिन रकवा 4 वीघा 4 विस्वा खसरा नम्बर 383 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 248 मिन रकवा 1 वीघा 4 विस्वा आराजी खसरा नम्बर हाल 384 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा जिसके साविक खसरा नम्बर 235 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा 248 मिन रकवा 5 विस्वा खसरा नम्बर हाल 378 रकवा 16 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 233 मिन रकवा 16 विस्वा खसरा नम्बर हाल 386 रकवा 12 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 237 रकवा 12 विस्वा खसरा नम्बर हाल 387 रकवा 3 वीघा 8 विस्वा जिसके साविक खसरा नम्बर 238 रकवा 3 वीघा 7 विस्वा खसरा नम्बर हाल 662 रकवा 1 वीघा 6 विस्वा जिसके साविक खसरा नम्बर 391 रकवा 1 वीघा 6 विस्वा वाके ग्राम नाटौज तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी देववक्त की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में उपरोकत विवादित आराजी वादी प्रतिवादी सं0 1 के पिता वो प्रतिवादी संख्या 2,3 के दादा देववक्स की खातेदारी में दर्ज है। देववक्स का सवसे वडा पुत्र प्रतिवादी सं0 1 संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता था जिसने सैटलमेंण्ट कर्मचारियों से मिलकर खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से विवादित आराजी को अपने व प्रतिवादी संख्या 2,3 के नाम अलग अलग खातों में दर्ज करा लिया। जवकि विवादित आराजी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी पर वादी एंव प्रतिवादीगण शामलात में काविज रहकर काश्त कर रहे है जिस आराजी का अभी तकासमा नहीं हुआ है। अतः हाल राजस्व रेकार्ड दुरूस्त कर विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कर दिया जावे व प्रतिवादीगण को पाबन्द कर दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 2–3 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्ध दिनांक 14.06.2013 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 14.06.2013 को हाजिर अदालत होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2016, 2012, 2073 वाके ग्राम नाटौज की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

वादी ने अपनी ओर से गवाह पी डब्ल्यू 1 वादी प्रभूदयाल, गवाह पी डब्ल्यू 2 बृजविहारी, गवाह पी डब्ल्यू 3 गोविन्द के वयान लेखवद्ध कराये है जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। लोक अदालत के सदस्यों ने पक्षकारान को एक जगह वैठाकर समझाइस कराई गयी। प्रतिवादी संख्या 2–3 ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि पत्रावली पर पूर्व में पेश राजीनामा ही हमारा राजीनामा मान लिया जावे हम राजीनामा से सहमत है। वहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रतिवादीगण ने राजीनामा अदालत श्रीमान में पेश कर तस्दीक करा दिये है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहान व राजीनामा के अवलोकन कर दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी वावत कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कठूमर ने मौके पर ही पक्षकारान की सहमति से अपनी कुरेजात रिपोर्ट पेश की। अतः दावा वादी पक्षकारान की सहमति के आधार पर अंतिम रूप से डिक्री किया गया।

आदेश

दावा वादी मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 301, 302, 303, 384, 662, 300, 378, 386, 287, 352, 353, 383, वाके ग्राम नाटौज का वादी को 1/3 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2/1 ला0 2/4 को 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2–3 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर आराजी खसरा नम्बर 301 रकवा 1.00 हे. 302 रकवा 0.53 हे., 384 रकवा 0.59 हे. 662 रकवा 0.33 हे. 300 रकवा 0.57 हे. किता रकवा 3.02 हे. रामचरण, महेशचन्द, दिनेशचन्द, महेन्द्रकुमार पि0 चिम्मनलाल फूलवती पुत्री चिम्मन कौम ब्राहमण को व खसरा नम्बर 353 रकवा 1.06 हे. 383 रकवा 0.30 हे. 303 तर्फ दक्षिण रकवा 0.59 हे. किता 3 रकवा 1.95 हे. मुकेशचन्द, रामप्रसाद पि0 हरी को खसरा नम्बर 352 रकवा 1.05 हे. मुकेश, रामप्रसाद पि0 हरी 67/105 हिस्सा अशोक, प्रहलाद पि0 लक्ष्मण हिस्सा 38/105 कौम ब्राहमण को खसरा नम्बर 378 रकवा 0.20 हे. 386 रकवा 0.15 हे. 387 रकवा 0.86 हे. 303 तर्फ उत्तर रकवा 0.62 हे. 302 तर्फ उत्तर रकवा 0.22 हे. किता 5 रकवा 2.05 हे. वाके ग्राम नाटौज तहसील कठूमर प्रभू पुत्र देववक्स कौम ब्राहमण को तकसीम में दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खातेदारी का अंकन व राजस्व रेकार्ड में तरमीम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 28.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/ 504/15

1. प्रभूदयाल पुत्र देववक्स जाति ब्राहमण निवासी नाटौज तहसील कठूमर जिला अलवर

—— डिक्रीदार

बनाम

1. चिम्मन पुत्र देववक्स (मृतक) जरिये वारिसान

1/1. रामचरण पुत्र चिम्मन जाति ब्राहमण

1/2 महेश पुत्र चिम्मन जाति ब्राहमण

1/3 महेन्द्र पुत्र चिम्मन जाति ब्राहमण

1/4 पप्पू उर्फ दिनेश पुत्र चिम्मन जाति ब्राहमण

1/5 मुकेश पुत्र हरीराम जाति ब्राहमण

1/6 रामप्रसाद पुत्र हरीराम जाति ब्राहमण

निवासीयान ग्राम नाटौज तहसील कठूमर

मदयूनान

दावा इस्तकरारहक तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 301, 302, 303, 384, 662, 300, 378, 386, 287, 352, 353, 383, वाके ग्राम नाटौज का वादी को 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2/1 लाo 2/4 को 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2–3 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर आराजी खसरा नम्बर 301 रकवा 1.00 हे. 302 रकवा 0.53 हे., 384 रकवा 0.59 हे. 662 रकवा 0.33 हे. 300 रकवा 0.57 हे. किता 5 रकवा 3.02 हे.

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

रामचरण, महेशचन्द, दिनेशचन्द, महेन्द्रकुमार पि0 चिम्मनलाल फूलवती पुत्री चिम्मन कौम ब्राहमण को व खसरा नम्बर 353 रकवा 1.06 हे. 383 रकवा 0.30 हे. 303 तर्फ दक्षिण रकवा 0.59 हे. किता 3 रकवा 1.95 हे. मुकेशचन्द, रामप्रसाद पि0 हरी को खसरा नम्बर 352 रकवा 1.05 हे. मुकेश, रामप्रसाद पि0 हरी 67/105 हिस्सा अशोक, प्रहलाद पि0 लक्ष्मण हिस्सा 38/105 कौम ब्राहमण को खसरा नम्बर 378 रकवा 0.20 हे. 386 रकवा 0.15 हे. 387 रकवा 0.86 हे. 303 तर्फ उत्तर रकवा 0.62 हे. 302 तर्फ उत्तर रकवा 0.22 हे. किता 5 रकवा 2.05 हे. वाके ग्राम नाटौज तहसील कठूमर प्रभू पुत्र देववक्स कौम ब्राहमण को तकसीम में दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खातेदारी का अंकन व राजस्व रेकार्ड में तरमीम करें।

आज दिनांक 28.05.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner